

न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :- श्री सुभाष चंद्र

तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का पचलंगी,

बनाम

श्री बनवारीलाल पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी पचलंगी तहसील उदयपुरवाटी

अर्तगत धारा 91 राज0 भू, राजस्व अधिनियम, 1956

:-निर्णय:-

प्रकरण संख्या:- 02/2021

दिनांक 17.09.2021

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का पचलंगी ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत् 2077 में मौजा ग्राम झड़ायानगर पटवार हल्का पचलंगी के हाल भूमि खसरा नम्बर 2261 कुल रकबा 1.58 है0 किस्म गै0 मु0 चारागाह में से 0.03 है0 सरकारी भूमि पर बनवारीलाल पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी पचलंगी ने अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर अपना जबाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी ने अपने जबाब में उल्लेखित किया कि उक्त आराजी पर उनका कदीमी कब्जा है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी ने पुराने कब्जे के अनुसार उसके हक में नियमन करने हेतु निवेदन किया है। उक्त भूमि मौजा ग्राम झड़ायानगर पटवार हल्का पचलंगी के हाल भूमि खसरा नम्बर 2261 कुल रकबा 1.58 है0 किस्म गै0 मु0 चारागाह में से 0.03 है0 भूमि पर अतिक्रमण करने के सम्बंध में किसी प्रकार का कदीमी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया है।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमि घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा आराजी से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश

वाके ग्राम झड़ायानगर पटवार हल्का पचलंगी के हाल भूमि खसरा नम्बर 2261 कुल रकबा 1.58 है0 किस्म गै0 मु0 चारागाह में से 0.03 भूमि पर से बनवारीलाल पुत्र हरनाथ जाति जाट निवासी पचलंगी को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 0.05 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 3/-रुपये (अक्षरे रू तीन मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू0अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि पर से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 17.09.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

... 02/2021 - 22

3-25

Page 33

Rajasthan

तहसीलदार उदयपुरवाटी (सुभाष चंद्र)

सुभाष चंद्र तहसीलदार उदयपुरवाटी



10
11
12
13
14